

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , नवा रायपुर अटलनगर

जिला - रायपुर ,छत्तीसगढ़

वर्ष 2024-26 तक के लिए रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र , छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी विकासखंड मुख्यालय , पंचायतों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रचार हेतु निविदा की संशोधित नियम एवं शर्तें

क्रमांक	नियम एवं शर्तें
1	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र , छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों एवं सभी विकासखंड मुख्यालय , पंचायतों एवं प्रमुख जगहों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्वयं के पास नगर पालिक निगम /नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत /एयरपोर्ट/रेलवे परिसर से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार प्राप्त वैध यूनीपोल होने वाले एजेंसियों से निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। जॉइंटवेंचर/ फैचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।
2	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में औसतन 50 लाख रुपए का UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
3	निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 5,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष की प्रति टेक्नीकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:- Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Central Bank of India Branch Name : Civil Line, Raipur (C.G.) Saving Account No. : 1279040867 IFSC Code No. : CBIN0282321
4	(1) यूनीपोल की विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार के संबंध में नगर पालिक निगम /नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत /एयरपोर्ट/रेलवे परिसर से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार संबंधी वैधता प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। (2) यूनीपोल का फोटो एल्बम यूनीपोल की साईज एवं लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए निविदा के साथ अपलोड करना होगा। (4)छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा (5) पैन कार्ड की प्रति (6) Assessment year 2021-22 . 2022-23 एवं 2023-24 का इनकमटैक्स रिटर्न की Acknowledgement की प्रतियाँ (7)माह मार्च 2024 का GSTR3B की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नवीन होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह मार्च 2024 की जीएसटी रिटर्न की प्रति ऑनलाइन अपलोड करना होगा। (8) स्वयं के स्वामित्व के solvent machine का देयक की प्रति ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
5	निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पैनल तैयार करने के लिए।
6	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेशियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।
7	निविदा में प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्धारित दरों में कार्य करने में सहमत एजेन्सियों की 2 वर्षों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले एजेन्सियों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरों में पैनल के एजेन्सियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति। मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8	आमंत्रित दर में मीडिया/ मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा। संवाद द्वारा पृथक से मीडिया/ मटेरियल के मुद्रण हेतु निविदा किया जा रहा है। उक्त निविदा के L-1 दर पर कार्य मान्य होगी। मीडिया/ मटेरियल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, आकार-प्रकार अनुसार करना अनिवार्य है, मुद्रण सामग्री के आकार में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता/जीएसएम में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त पेनाल्टी कटौती की जायेगी। पेनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , नवा रायपुर अटलनगर

जिला - रायपुर ,छत्तीसगढ़

9	यूनीपोल लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/मटेरियल मार्टिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां जिसमें यूनीपोल की लोकेशन, अवधि एवं साईज उल्लेखित हो देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। Printing Media हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसकी उत्तरदायी सम्बंधित एजेंसी की होगी।
10	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा , कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात 21 दिवस के भीतर फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। एवं जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर एजेंसी को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
11	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत एवं नियम शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
12	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची में डाले गये फर्म निविदा मे भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध मे निर्धारित प्रारूप में फर्म को नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सुची मे नहीं डाला गया है एवं शपथ पत्र कि मूल प्रति (हार्डकॉपी) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र . SF- 10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।
13	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नहीं होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC एजेंसी के पास होनी चाहिए।
14	कार्य संपादन पश्चात सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स के साथ 21 दिवस तक एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं करने पर एजेंसी को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नहीं किया जायेगा।
15	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
16	नगर निगम अथवा जो भी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था का क्षेत्र अधिकार है, उसकी अनुमति से जारी यूनीपोल की सूची निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
17	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन की तिथि से 02 वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। निविदा समिति को दरों में निगोसियेशन का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दर/D.A.V.P. में उपलब्ध दर/ अन्य शासकीय संस्था में प्रचलित दर/अन्य दर अनुसार निगोसियेशन कर दर निर्धारण किया जायेगा।
18	पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्पित यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य / कायदिश नहीं दिया जायेगा ॥उक्त कार्यावधि के पश्चात दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए ब्लॉक लिस्टेड एवं अमानत राशि राजसात किया जायेगा ।
19	पैनल के एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर चाहे गए स्थानों में कायदिश में उल्लेखित आकार प्रकार में कार्य से इंकार करने पर एजेंसी की सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी तथा एजेंसी को एक साल तक ब्लॉक लिस्टेड किया जा सकेगा।
20	निविदाकार फर्म को वित्तीय प्रस्ताव में स्वयं के स्वामित्व के वैध यूनीपोल की दरें प्रस्तुत करना होगा। अर्थात् केवल रायपुर नगर पालिक निगम में है तो रायपुर नगर पालिक निगम का दर भरें, केवल नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में है तो नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र का दर भरें, केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मुख्यालय में है तो जिला मुख्यालय का दर भरें एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मुख्यालय के विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र में है तो विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र का दर भरें । फर्म द्वारा जिस जगह के लिए दर कोट किया जाएगा वह उसी जगह के लिए इम्पैनलमेंट नहीं माना जायेगा। अन्य जगहों के लिए इम्पैनलमेंट नहीं माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ संवाद
 (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
 नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , नवा रायपुर अटलनगर
 जिला - रायपुर ,छत्तीसगढ़

21	निविदाकार फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र एवं नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल/जिला मुख्यालय क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम 05 नग यूनीपोल/विकासखण्ड, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल स्थापित होना अनिवार्य है।
22	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
23	जिस निकाय से फर्म को स्थापित यूनीपोल की रसीद / अनुमति प्राप्त होगी उसी निकाय में यूनीपोल को सूचीबद्ध किया जायेगा।
24	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में लगाये गये यूनीपोल का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रथम बार फ्लैक्स लगाने तथा द्वितीय बार यूनीपोल डिस्प्ले हेतु निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि) उपलब्ध कराना होगा। यदि आपका फ्लैक्स परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में पूर्व में लगाये गये फ्लैक्स की अंतिम अवधि की फोटो तदपश्चात आपको परिवर्तित फ्लैक्स का फोटो अपलोड करना होगा।
25	तकनिकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा withdraw करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज / जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा।
26	निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
27	बिन्दु क्र . 12 में उल्लेखित नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नहीं होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नहीं होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।
28	आबिट्रिशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आबिट्रिशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अप्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
29	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर